

5

राजस्थान-सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ-27(71)ग्रावि/अनु-5/सरपंच ज्ञापन/2015-16 जयपुर, दिनांक 27 नवम्बर, 2015

**स्थायी आदेश संख्या- 23 / 2015**

विभागीय परिपत्र संख्या 17/2015 के द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015 भाग-1 जारी की गई है। इस निर्देशिका के निर्देश संख्या 9.6.1 - जिला स्तरीय दर निर्णायक समिति अथवा जिला स्तरीय समिति में जिले के दो सरपंच एवं दो ग्राम सेवक पदेन सचिव (कुल 4 सदस्य) और शामिल किये जाते हैं। इन सदस्यों का चयन अलग-अलग पंचायत समितियों प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर से जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत किया जावेगा। शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

*(राजीव सिंह ठाकुर)*  
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ग्रा.वि. एवं पंचा.राज.विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।